(File No.-1520/19)

13.09.2019

प्रस्तुत मामला परिवादी देवन्ती देवी के पति राकेश सिंह को भारतीय दंड संहिता के धाराओं 302/120–बी/34 एवं शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत, मो0 परवेज आलम के लिखित आवेदन के आधार पर, उसके छोटे भाई जुनैद उर्फ छोटे मस्तान की गोली मारकर हत्या करने से संबंधित पचरूखी(सराय) थाना कांड स0 16/19, दिनांक 12.01.2019, में परिवादी के पति की अन्यत्र उपस्थिति के आधार पर उसे गलत रूप से फंसाये जाने से संबंधित है।

उक्त के संबंध में पुलिस अधीक्षक, सिवान द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रसंगाधीन कांड के अनुसंधानोपरांत, परिवादी के पति, राकेष सिंह सहित प्राथमिकी के तीन नामांकित अभियुक्तों के विरूद्ध उनकी संलिप्तता को सत्य पाया गया है तथा एक प्राथमिकी अभियुक्त, संदीप शर्मा, के विरूद्ध आरोप पत्र भी समर्पित किया जा चुका है साथ–ही साथ यह भी प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी द्वारा अपने पति के बचाव में मानवाधिकार आयोग में उन्हें गलत रूप से फंसाने के संबंध में आवेदन दिया गया है।

प्रस्तुत मामला न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है तथा परिवादी अपने पति के बचाव में **विधिनुसार संबंधित न्यायालय से अनुतोष की याचना कर सकते है।**

उक्त के आलोक में आयोग के स्तर पर प्रस्तुत मामलें को बंद किया जाता है।

तद्नुसार आदेश की प्रति के साथ परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
कार्यकारी अध्यक्ष

सहायक निबंधक